न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

(2)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 139/2024 दायर दिनांकः 14.10.2024

उनवान

1. रघुवीर सिंह पि. देचीसिंह जाति राजपूत नि. दुबलिया तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–
वकील प्रार्थी :– श्री अशोक पाटीदार
अप्राथी :– पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 24.12.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम दुबलिया तहसील रायपुर में जमाबन्दी खाता संख्या 543 खसरा न. 27 रकबा 0.8829 हैक्टेयर, खसरा न. 68 रकबा 0.6956 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3785 हैक्टेयर तथा खाता न. 154 खसरा कुल किता 9 कुल रकवा 2.3269 हैक्टेयर आराजी स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र के पेरा न. 1 मे दर्ज आराजी प्रार्थी के सहखातेदारी मे दर्ज होकर इसमे प्रार्थी का 1/5, 1/5 हिस्सा निहित है। यह आराजी प्रार्थी की पुश्तेनी आराजी है, जो उसको उसके पिता से प्राप्त हुई है. जिसमे प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के वाद उनके फोता नामा० मे प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयों ने बिना जांच किये गलती से रघुसिंह दर्ज कर दिया था, इस कारण प्रार्थी का जमाबन्दी में रघुसिंह नाम दर्ज कर दिया है, जो गलत है, जबकि प्रार्थी का सही नाम रघुवीर सिंह है। यह कि प्रार्थी का सही एवं रेकार्डेड नाम रघुवीर सिंह है, जो उसके अन्य सभी सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, पेन कार्ड, जनआधार मे दर्ज है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, पेन कार्ड, जनआधार की फोटोप्रति संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:13:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(3)

पेरा न. 1 मे दर्ज आराजी मे प्रार्थी का नाम रघुसिंहं दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानिया का सामना करना पड़ रहा है। वह सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में दी जा रही रियायतो का लाभ नही ले पा रहा है, साथ ही इस कृषि आराजी पेटे किसी बैंक अथवा वितिय संस्था से किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण भी नहीं ले पा रहा है। इस कारण प्रार्थी अपना नाम रघुसिंहं की जगह रघुवीर सिंह दर्ज करवाने का अधिकारी है, जिसकी पात्रता प्रार्थी रखता है। यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के पेरा न. 1 में अपना नाम रघुसिंहं की जगह सही रेकार्डेड नाम रघुवीर सिंह दर्ज करवाने तहसीलदार महोदय के पास गया तो माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की सलाह दी। यह कि प्रार्थी अपनी आराजी में नाम सही रेकार्डेड रघुवीर सिंह की जगह रघुसिंहं दर्ज होने से उसको सही करवाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रार्थना करता है कि राजस्व ग्राम ग्राम दुबलिया तहसील रायपुर मे जमाबन्दी खाता संख्या 543 खसरा न. 27 रकबा 0.6829 हैक्टेयर, खसरा न. 68 रकबा 0.6956 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3785 हैक्टेयर व खाता न. 154 खसरा कुल किता 9 कुल रकबा 2.3269 हैक्टेयर मे प्रार्थी का रघुसिंह नाम की जगह सही नाम रघुवीर सिंह पुत्र देवीसिंह दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क्र. भू.अ./2024/854 दिनांक 06.11.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी रघुवीरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिंडाना के यहां नाम शुद्धि बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का दुबलिया से जाँच कराने पर पाया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व ग्राम दुबलिया की जमा. स. 2074–77 की खाता स. 154 किता 9 रकबा 2. 3869 हेक्ट. व खाता कि 543 किता 2 रकबा 1.3785 हैक्ट में 1/5 हिस्सा रघुसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत दर्ज है जो कि नामा ... विरासत के नामान्तरण में दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी के पहचान दस्तावेज यथा–आधार कार्ड, पैन कार्ड व जन आधार तथा ग्राम पंचायत की रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:13:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(5)

के अनुसार प्रार्थी का नाम रघुवीरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत नि.. दुबलिया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रघुसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत के बजाय रघुवीरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत किया जाना उचित होगा।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम दुबलिया की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 543, 154 की प्रमाणित नकल, ग्राम दुबलिया का नामा.सं. 1067 की सत्यप्रति एवं रघुवीरसिंह का आधारकार्ड (442654194609), आयकर विभाग पेनकार्ड (TCQPS2858D), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (RJ/15/119/117502), जन आधार कार्ड (4754570748) व ग्राम पंचायत दुबलिया का प्रमाण पत्र दिनांक 25.09.2024 की प्रतियां पेश की।

4. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का दुबलिया की रिपोर्ट, ग्राम दुबलिया की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 154, 543 की प्रमाणित नकल, ग्राम दुबलिया का नामा.सं. 1067 दिनांक 20.04.2014 की प्रमाणित प्रति, आधारकार्ड, पेनकार्ड, जन आधार कार्ड, ग्राम पंचायत दुबलिया का प्रमाण पत्र पेश किया।

5. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम दुबलिया तहसील रायपुर में जमाबन्दी खाता संख्या 543 खसरा न. 27 रकबा 0.8829 हैक्टेयर, खसरा न. 68 रकबा 0.6956 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3785 हैक्टेयर तथा खाता न. 154 खसरा कुल किता 9 कुल रकबा 2.3269 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के सहखातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उनके फोती नामा० 1067 मे प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयों ने बिना जांच किये गलती से रघुसिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम रघुवीरसिंह पुत्र देवीसिंह है। प्रार्थी के आधारकार्ड (442654194609), आयकर विभाग पेनकार्ड (TCQPS2858D), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (RJ/15/119/117502), जन आधार कार्ड (4754570748) ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:13:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

दिनांक 10/10/2024

रघुवीर सिंह
प्रार्थी

Scanned with OKEN Scanner

दुबलिया का प्रमाण पत्र दिनांक 25.09.2024 आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम रघुवीरसिंह पुत्र देवीसिंह अंकित है जो सही है। इसलिए ग्राम दुबलिया तहसील रायपुर में जमाबन्दी खाता संख्या 543 खसरा न. 27 रकबा 0.8829 हैक्टेयर, खसरा न. 68 रकबा 0.6956 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3785 हैक्टेयर तथा खाता न. 154 खसरा कुल किता 9 कुल रकबा 2.3269 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम रघुसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत के बजाय रघुवीरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत किया जाना जाना आवश्यक है।

6. अभिभाषक प्रार्थी ने आगे तर्क किया कि ग्राम दुबलिया की जमाबंदी खाता सं. 154 व 543 में प्रार्थी के नाम का गलत अंकन होने से प्रार्थी को अपनी आराजी का विकास करने, ऋण लेने एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों को सामना करना पड रहा है। अतः उक्त त्रुटी को शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

7. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व ग्राम दुबलिया की जमा. स. 2074–77 की खाता स. 154 किता 9 रकबा 2.3869 हेक्ट. व खाता कि 543 किता 2 रकबा 1.3785 हैक्ट में 1/5 हिस्सा रघुसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत दर्ज है जो कि नामा.सं. 1067 विरासत के नामान्तरण में दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी के पहचान दस्तावेज यथा–आधार कार्ड, पैन कार्ड व जन आधार तथा ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के अनुभार प्रार्थी का नाम रघुवीरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत नि.. दुबलिया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रघुसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत के बजाय रघुवीरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत किया जाना उचित होगा।

8. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम दुबलिया के खाता सं. 154 व 543 की जमाबंदी सं. 2074–77 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी का नाम रघुसिंह पि. देवीसिंह दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन [illegible] स्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:13:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

दिनांक 10/10/2024

रघुवीरसिंह
प्रार्थी
रघुवीर सिंह पुत्र देवीसिंह जाति रातपूत
निवासी दुबलिया तहसील रायपर जिला

Scanned with OKEN Scanner

में उसके नाम का गलत अंकन किया है। प्रार्थी का सही नाम रघुवीरसिंह है। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा पेश नामा.सं. 1067 दिनांक 20.04.2014 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी के पिता का फोती इन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम रघुसिह दर्ज किया गया जबकि प्रार्थी के आधारकार्ड (442654194609), आयकर विभाग पेनकार्ड (TCQPS2858D), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (RJ/15/119/117502), जन आधार कार्ड (4754570748) आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम रघुवीरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को उभयपक्षकार की सहमति से धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम दुबलिया की आराजी खाता सं० 154 व 543 कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम दुबलिया की जमा. स. 2074–77 की खाता स. 154 किता 9 रकबा 2.3869 हेक्टर व खाता कि 543 किता 2 रकबा 1. 3785 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रघुसिंह पि. देवीसिंह के स्थान पर एवं रघुवीरसिंह उर्फ रघुसिंह पुत्र देवीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़ राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:13:59 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 10/10/2024 रघुवीरसिंह प्रार्थी

Scanned with OKEN Scanner